संपादकीय जागरण

रविवार, 24 दिसंबर, 2017 : पौष शुक्ल 6 वि. 2074

सपने और लक्ष्य में सिर्फ योजना का फर्क है

न्याय की धीमी गति

आखिरकार चारा घोटाले के एक और मामले में लालू यादव और कुछ अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया। इसके पहले भी उन्हें इसी घोटाले के एक मामले में सजा हो चुकी है। अभी लालू यादव और अन्य अनेक लोगों को चारा घोटाले के कुछ और मामलों का सामना करना है। कोई नहीं जानता कि वह दिन कब आएगा जब शेष मामलों में भी फैसला आएगा और इन सब मामलों का अंतिम तौर पर निस्तारण होगा? आखिर इस पर संतोष जताया जाए कि देर से ही सही, नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले अदालतों द्वारा निपटाए जा रहे हैं या फिर इस पर हैरानी प्रकट की जाए कि न्याय की गति इतनी धीमी क्यों है? यह सही है कि चारा घोटाला सरकारी धन की लूट का एक बड़ा मामला था और उसमें नेताओं और नौकरशाहों के साथ चारा आपूर्ति करने वाले भी तमाम लोग शामिल थे, लेकिन आखिर इसके क्या मायने कि जो घोटाला 1996 में उजागर हुआ उसमें फैसला 2017 में हो रहा है? यह देर ही नहीं एक तरह की अंधेर है। यह तय है कि विशेष अदालत के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी-ठीक वैसे ही जैसे पहले आए फैसले को लेकर दी गई थी। इस पर भी गौर करें कि जिस मामले में लालू यादव को दोषी पाया गया और जगन्नाथ मिश्र बरी किए गए उसमें कुल 38 आरोपियों में से 11 की मौत हो चुकी है। यह लगभग तय है कि ऐसी स्थिति अन्य मामलों में भी देखने को मिल सकती है। क्या किसी को परवाह है कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है?

अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया की सुस्त रफ्तार कोई नई-अनोखी बात नहीं। न जाने कितने मसले वर्षों और दशकों तक तारीख पर तारीख से दो-चार होते रहते हैं, लेकिन नेताओं के मामलों में ऐसा खास तौर पर होता है। वे अपनी पहुंच और प्रभाव के चलते पहले तो अपने खिलाफ जांच को प्रभावित करने का हर संभव जतन करते हैं और फिर अदालती प्रक्रिया में अड़ंगा डालने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। दुर्भाग्य से कई बार वे सफल भी होते हैं। वे एक काम यह भी करते हैं कि निचली अदालत के फैसले के बाद जमानत हासिल कर जनता के बीच जाकर सहानुभूति अर्जित करते हैं। इस दौरान वे कानून के प्रति अपनी कथित आस्था का दिखावा करते हुए यह प्रचार भी करते रहते हैं कि उन्हें राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत फंसाया गया। कई बार तो वे जेल जाने की अच्छी-खासी राजनीतिक कीमत वसूल कर लेते हैं। जब ऐसा होता है तो विधि के शासन का उपहास ही उड़ता है। यह किसी से छिपा नहीं कि लालू यादव ने किस तरह अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को राजनीतिक तौर पर भुनाया। यदि नेताओं और अन्य प्रभावशाली लोगों के मामलों का निस्तारण जल्द करने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनती तो न्याय होने के साथ ही उनकी निरर्थकता भी साबित होते रहने तय है। बेहतर हो कि नीति-नियंता इस पर गंभीरता से विचार करें कि नेताओं के मामलों के निस्तारण में जरूरत से ज्यादा देरी क्यों रही है?

मुख्यमंत्री का संकल्प

मुंबई में यूपी इनवेस्टर्स मीट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों को स्पष्ट आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश में न अराजकता रहेगी, न लालफीताशाही। इस दौरान देश के दिग्गज उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई। ऐसा इसलिए संभव हो सका, क्योंकि उद्योगपतियों को भरोसा हो चला है कि उत्तर प्रदेश अब अपराध और लालफीताशाही से मुक्त हो जाएगा। दरअसल प्रदेश में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। अब तक दर्जनों खूंखार अपराधी मारे जा चुके हैं और सैकड़ों बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास के लिए भी कई कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन यूपी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पृथक विभाग की स्थापना तक कर दी गई है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है।

आशा की जानी चाहिए कि 21-22 फरवरी को लखनऊ में 'इन्वेस्टर्स समिट 2018' का आयोजन काफी सफल होगा

केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे 'वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर' एवं ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर को ध्यान में रखकर राज्य सरकार उद्योग विकास की योजना बना रही है। सिंगल विंडो व्यवस्था शुरू की गई है। निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी केंद्र सरकार के कदम से कदम मिलाकर प्रदेश सरकार चल रही है। श्रम कानूनों में भी संशोधन किया जा रहा है। प्रशिक्षित युवाओं की फौज खड़ी की जा रही है। बिजली, पानी, सड़क पर भरपूर ध्यान दिया जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए आशा की जानी चाहिए कि 21-22 फरवरी को लखनऊ में 'इन्वेस्टर्स समिट 2018' का आयोजन काफी सफल होगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या भारत द्वारा यूएन में यरुशलम पर अमेरिका के खिलाफ वोटिंग से दोनों के बीच रिश्तों पर असर पड़ेगा?

आज का सवाल

क्या लालू प्रसाद यादव पर आए अदालती फैसले से राजद की राजनीतिक राह मुश्किल हो जाएगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

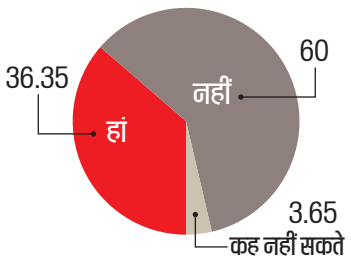

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

2जी पर अंतिम फैसले की जरूरत

संजय गुप्त

चूंकि विशेष अदालत का फैसला चुनावी मुद्दा बनने के साथ अन्य समस्याएं खड़ी कर सकता है इसलिए उसका अंतिम तौर पर जल्द निस्तारण आवश्यक है

बहुचर्चित 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में विशेष अदालत ने जिस तरह सुबूतों के कथित अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया वह सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। जिस तरह इस घोटाले ने देश को चकित किया था उसी तरह विशेष अदालत का फैसला भी चकित कर रहा है। देश की राजनीतिक दशा-दिशा बदलने वाले इस घोटाले में कई उद्योगपतियों और नौकरशाहों के साथ-साथ द्रमुक नेता ए.राजा और कनीमोरी भी आरोपों के कठघरे में थीं। इस घोटाले ने तब खूब सुर्खियां बटोरी थीं जब तत्कालीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं के चलते करीब एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये की राजस्व क्षति होने की बात कही थी। उनकी रपट के मुताबिक 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन 2001 के मूल्य पर नीलामी के बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर किए जाने से ही इतना बड़ा नुकसान हुआ। यह घोटाला भले ही संप्रग सरकार के पहले कार्यकाल में हुआ हो, लेकिन उसका कच्चा-चिट्ठा उसके दूसरे कार्यकाल में सामने आया। इसी दूसरे कार्यकाल में कोयला खदानों के आवंटन में भी घोटाला सामने आया। इस दूसरे बड़े घोटाले से पूरा देश हिल गया। विपक्ष और खासकर भाजपा की ओर से इन घोटालों के लिए संप्रग सरकार का नेतृत्व कर रही कांग्रेस को जमकर घेरा गया। इन घोटालों से जो माहौल बना उसी के चलते 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली।

चूंकि अब विशेष अदालत ने 2जी घोटाले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया इसलिए कांग्रेस को यह कहने का मौका मिला है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं था और भाजपा ने झूठ की बुनियाद पर उसके खिलाफ एक माहौल खड़ा किया। उसके नेताओं की ओर से ऐसे भी तर्क दिए जा रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग संदर्भ में था और उसकी तुलना विशेष अदालत के फैसले से नहीं की जानी चाहिए। हालांकि सीबीआइ और ईडी ने स्पष्ट किया है कि वह विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ जल्द हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन जब तक वहां से कोई फैसला नहीं होता, इस मसले पर राजनीति होते रहना तय है। वैसे भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस के साथ द्रमुक इस फैसले से खूब उत्साहित हैं। दोनों को राजनीतिक तौर पर एक संजीवनी सी मिल गई है। इसी के साथ स्पेक्ट्रम आवंटन से वंचित की गईं कंपनियों को भी यह कहने का मौका मिला है कि उन्हें बेवजह नुकसान उठाना पड़ा। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी 122 लाइसेंस रद करते हुए सात कंपनियों पर कुल 17 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। उसने अपने फैसले में यह भी टिप्पणी की थी कि कुछ कंपनियों को राजस्व हानि की कीमत पर फायदा पहुंचाया गया। चूंकि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से राजनीतिक तौर पर लाभान्वित होने वाली भाजपा अब सत्ता में है इसलिए उस पर यह जवाब देने की जिम्मेदारी आ गई है कि अगर स्पेक्ट्रम आवंटन में सचमुच

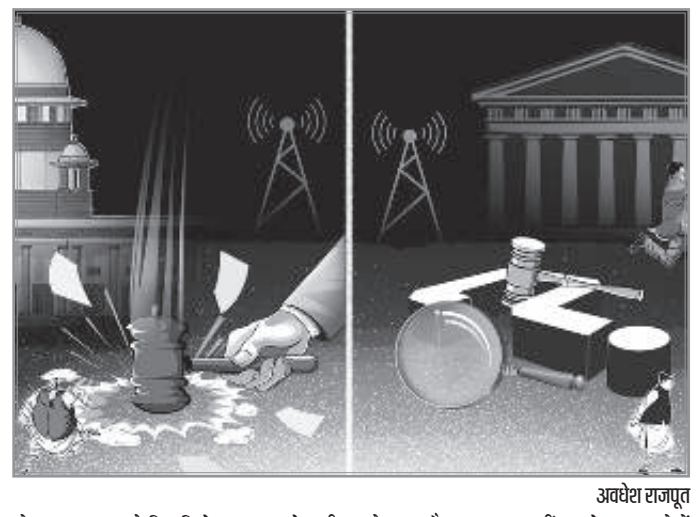

अवधेश राजपूत

घोटाला हुआ था तो फिर विशेष अदालत ने सभी को बरी क्यों कर दिया?

यह ठीक है कि इस मामले में आरोप पत्र मनमोहन सरकार के समय दायर किए गए, लेकिन मामले की तमाम सुनवाई मोदी सरकार के समय ही हुई। इसी कारण यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस दौरान सीबीआइ के साथ ईडी ने अपना काम सही तरह नहीं किया? ऐसे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, क्योंकि एक तो यह सामने आया कि सीबीआइ ने स्पेक्ट्रम आंवटन की प्रक्रिया को दोषपूर्ण साबित करने पर अधिक ध्यान दिया और आपराधिक साठगांठ साबित करने पर कम और दूसरे विशेष अदालत के जज ओपी सैनी ने यह कहा कि वह अदालत में बैठे इंतजार करते रहे कि कोई पुख्ता सुबूतों के साथ सामने आए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा है कि पहले तो अभियोजन पक्ष ने उत्साह दिखाया, लेकिन बाद में वह सुस्त पड़ गया। स्पष्ट है कि लोग जानना चाहते हैं कि इस सुस्ती की वजह क्या रही? विशेष अदालत ने जिस तरह यह कहा कि घोटाला जैसा कुछ था नहीं उससे तमाम लोगों की असहमति स्वाभाविक है। इस मामले में अभियोजक रहे आनंद ग्रोवर ने साफ कहा है कि जज ओपी सैनी ने कुछ बुनियादी तथ्यों पर गौर नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर आरोप पत्र त्रुटिपूर्ण था, जैसा कि जज ने कहा तो फिर उन्होंने आरोप तय करने का काम क्यों किया? दो सौ करोड़ रुपये के आदान-प्रदान को सुबूत के तौर पर न देखे जाने के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसके प्रमाण सबके सामने हैं कि यह धनराशि किस तरह इधर से उधर हुई। इस प्रमाण को लेकर ईडी तो इतना आश्वस्त है कि वह फैसले के बाद भी इस राशि को मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है। दो सौ करोड़ रुपये के लेनदेन को सुबूत के तौर पर न देखे जाने के बाद इसकी भी आशंका बढ़ गई है कि यदि जज ओपी सैनी की ही तरह से निष्कर्ष निकाले गए तो रिश्वत के ऐसे संदिग्ध लेन-देन वाले अन्य मामलों में भी आरोपी छूट सकते हैं। इस आशंका का एक आधार यह है कि ऐसे कई मामले अदालतों में चल रहे हैं जिनमें नेताओं या नौकरशाहों पर आरोप है कि उन्होंने अपने फैसलों से जिन्हें लाभान्वित किया उनसे परोक्ष तौर पर पैसा लिया। कुछ मामलों में तो पैसे के बजाय जमीन आदि ली गई और वह भी किसी तीसरे व्यक्ति के जरिये।

विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने पर उच्च न्यायालय का फैसला जो भी हो, आम लोगों के लिए इस पर यकीन करना कठिन है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ था। इस अविश्वास का एक बड़ा कारण विशेष अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उलट होना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज किया था कि स्पेक्ट्रम आवंटन की पहले आओ-पहले पाओ की नीति दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई। सभी जानते हैं कि इस नीति के तहत आवंटित लाइसेंस रद होने के बाद भी इस क्षेत्र ने अभूतपूर्व तरक्की की। यह भी ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम आवंटन नीति में खामी और मनमानी के आधार पर ही लाइसेंस रद किए थे। उसने यह भी पाया था कि यह खामी और मनमानी कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए की गई। चूंकि विशेष अदालत ने खामी और मनमानी के इस कृत्य को आपराधिक नहीं माना इसलिए कांग्रेस और द्रमुक इस फैसले को अपने पक्ष में भुनाने में जुट गई हैं। हालांकि विशेष अदालत के फैसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली यह कह रहे हैं कि इसे प्रमाणपत्र के तौर पर न लिया जाए, लेकिन अगले वर्ष कर्नाटक के साथ कुछ अन्य राज्यों में चुनावों के दौरान 2जी घोटाले पर आया अदालती फैसला एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। ऐसे में इस मसले का अंतिम तौर पर जल्द निस्तारण होना आवश्यक है। इसलिए और भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हुईं विदेशी दूरसंचार कंपनियां भारत सरकार पर अरबों डॉलर के हर्जाने का दावा कर सकती हैं।

response@jagran.com

वे अपनी हार से अभिभूत हैं

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

हमें तो फायदा ही फायदा है। 'मंदिर-मंदिर' वे चिल्लाते रहे और दर्शन हम कर आए। उन्हें बहुमत मिला तो हमें हिम्मत

वे फिर से हार गए और फिर भी खुश हैं कि सम्मान से हारे हैं। उनकी यह हार सामने वाले की जीत से भी बड़ी है। वे सत्ता के लिए नहीं सम्मान के लिए लड़ रहे थे। उनके समर्थक गदगद हैं कि वे जीते नहीं। जीत जाते तो हारने वालों को प्रेरणा कौन देता! जीत के साथ तो दुनिया खड़ी होती है, पर हार अकेली होती है। ऐसे में हार को गले लगाना बड़े साहस का काम है। जीत अपने साथ कई सारे अवगुण लाती है। जीता हुआ आदमी अहंकार से भर उठता है जबकि हारने वाला बिल्कुल खाली हाथ होता है। खोने को भी कुछ नहीं होता। इसीलिए जीत वाला भरा हुआ झोला उठाकर चल देता है जबकि हारने वाला आत्मचिंतन के लिए खोह में घुस जाता है। हारने के बाद ही उन्होंने जाना है कि जीत कितनी बेमजा होती है। हार से अंदर का हाहाकार बाहर निकल आता है, वहीं जीत से बाहर की जयकार अहंकार का रूप धर लेती है। इस नाते तो जीत किसी भी रूप में हार के आगे नहीं टिकती। इसीलिए जीतने वाले अभागे और बदनसीब हैं और हारने वाले परमसुखी और दार्शनिक। जिस हार से सभी भयभीत होते हैं, वे उसे अपना बना चुके हैं। उनकी इस उदारता से हम बहुत प्रभावित हुए। भेंट के लिए उनके पास जाना पड़ा। वे उस समय भी चिंतन में लीन थे। उनके समर्थक स्तुतिगान कर रहे थे। सामने खूंटी पर कई हार टंगे थे। सबसे बड़े वाले हार पर लिखा था-नैतिक जीत। हम गश खाकर गिरने ही वाले थे कि समर्थकों की करतल-ध्वनि ने बचा लिया। अचानक तेज आवाज से उनकी तंद्रा भंग हो गई। हमें सामने बैठने का संकेत देकर वे हमें निहारने लगे। हमने अपनी जेब से चुनिंदा सवाल निकाल लिए। उनसे हुई ब्रेकिंग-बातचीत यहां अविकल रूप से प्रस्तुत है:

सबसे पहले तो आपको लगातार हार की बधाई। यह अनोखी उपलब्धि आपको मिली कैसे? कुछ अनुभव जो साझा करना चाहें!

हार के लिए सबका आभार। वह तो हम बाल-बाल बचे। कुछ समय के लिए तो हम डर ही गए थे कि शायद इस बार हार से वंचित हो जाएं, पर बाद में हमारे बड़े नेताओं ने अपना बलिदान देकर हमें संभाल लिया। मतगणना के दौरान वे खेत रहे। यह हम सबकी हार है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 22 बरस की जीत ने हमारी एक सौ 32 साल की विरासत के आगे घुटने टेक दिए। हमने 'विकास' को शतक बनाने से रोक दिया। मंदिर-मंदिर टीका लगवाना और कोट फाड़कर जनेऊ प्रकट हो जाना इस हार-यात्रा के अद्भुत अनुभव रहे। हम अभी तक अभिभूत हैं। हमारी यह हार उनकी जीत से ज्यादा दमदार है।

कहते हैं कि जीएसटी और नोटबंदी ने आखिरी ओवरों में पासा पलट दिया?

नहीं, शुरुआत में तो इन दोनों ने खूब रन लुटाये, लेकिन टारगेट फिर भी दूर रह जाता यदि हमारे पास अनमोल 'मणि' न होती! ऐन वक्त पर उन्होंने एक 'लो-बॉल' फेंक दी जिसे ज़ितैली-पार्टी ने सीमा पार जाकर लपक लिया। यह हमारी हार का टर्निंग-पॉइंट था और हम तभी अपने लक्ष्य के प्रति निश्चिंत हो गए थे कि हम किसी न किसी कीमत पर इसे हासिल करके रहेंगे।

आखिर इस हार से सबक क्या मिला है?

यही कि अगर आपके पास हारने का जबरदस्त जज्बा हो तो जीती हुई बाजी भी पलटी जा सकती है। आपके पास दो-चार मूर्खशिरोमणि जरूर होने चाहिए ताकि आपके हारने में कोई गुंजाइश न रहे। ऊपरवाले का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे लोगों की कमी नहीं है। यह इनकी प्रतिभा का ही कमाल है कि अब हार स्थाई रूप से हमारी हो गई है।

अपनी इस हार का असल श्रेय किसे देना चाहेंगे?

बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है आपने, लेकिन हम भी तैयार हैं। हमारे सवालों के जवाब भले आधारहीन हों, पर आप उधर से सवाल डालोगे, इधर से जवाब निकलेगा। दरअसल, सारा खेल मशीन का है। इस बार थोड़ी गड़बड़ हुई है। न वे ठीक से जीते और न हम ठीक से हारे हैं। यह कहां का लोकतंत्र है कि एक ठीकरा तक फोड़ना मुश्किल हो रहा है! हम विश्लेषण कर रहे हैं और जल्द ही पता कर लेंगे कि हार का श्रेय किसे दिया जाए! हम लोग गरिमा से लड़ते हैं और शालीनता से हार जाते हैं। हमें इतना उदार तो होना ही चाहिए।

हार से आपको कितना और क्या फायदा मिला है?

देखिए, हमें तो फायदा ही फायदा है। 'मंदिर-मंदिर' वे चिल्लाते रहे और दर्शन हम कर आए। उन्हें बहुमत मिला है तो हमें हिम्मत। हम लड़ भी सकते हैं, इस बात का आत्मविश्वास आया है। हार से हमारे संघर्ष को नई ऊर्जा मिली है और आंदोलनकारियों को प्राण। आने वाले दिनों में हम देश में भी नई जान फूंकेंगे। हमारी हार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि चुनाव के दौरान खोया हुआ विकास आखिरकार मिल ही गया! हम इसी से अभिभूत हैं।

response@jagran.com

ऊर्जा

आसक्ति

वैसे तो आसक्ति शब्द लगाव का पर्यायवाची है। लगाव में व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, लेकिन जब व्यक्ति को किसी वस्तु से इतना अधिक लगाव हो जाता है कि वह उसके बिना रह नहीं पाता या उसे उसके अभाव में कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो यह प्रवृत्ति आसक्ति बन जाती है, जो एक प्रकार का नशा है। दरअसल हमारे अंतः पटल में सारी क्रियाएं दो कारकों से संचालित होती हैं। पहली, मस्तिष्क और दूसरी, मन। मस्तिष्क के जरिये संचालित क्रियाएं गुण और दोष की विवेचना के उपरांत ही होती हैं, जबकि मन के द्वारा संचालित क्रियाओं पर गुण-दोष का कोई असर नही होता।

आसक्ति एक बंधन की तरह है, जिसमें फंसकर मनुष्य छटपटाता रहता है। आसक्ति में मनुष्य अपने आप को ही भूल जाता है कि वह क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। इस अवस्था में व्यक्ति न चाहते हुए भी वही काम करता है, जिसके प्रति वह आसक्त है। इसके विपरीत श्रीराम का जिक्र करें तो वे राजा के बेटे थे, लेकिन महल से उन्हें कोई आसक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने पिता के आदेश पर वनगमन पसंद किया। सवाल यह है कि यदि जीवन आनंद का दूसरा नाम है और आसक्ति में मनुष्य आनंद को ही प्राप्त करता है तो आसक्ति बुरी कैसे हुई? असल में हमारा मन गुण-दोष की विवेचना नहीं करता है। उसे जो अच्छा लगता है, वह वही करता है, जबकि इसके विपरीत हमारे मस्तिष्क के पास गुण-दोष को परखने-समझने की शक्ति होती है। जब हमारा मस्तिष्क किसी भी वस्तु के गुण-दोषों की विवेचना करके उसके लाभ-हानि के बारे में मन को समझाने में सफल हो जाता है तो अमुक वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी। कहते भी हैं कि मन हार गया तो हम हार गए और यदि हमने अपने मन को मना लिया तो हमारी जीत सुनिश्चित है। वैसे हर बार आसक्ति बुरी नहीं होती। बाकायदा, कई बार आसक्ति मनुष्य के लिए ऊर्जा का काम भी करती है। सवाल यह है कि मनुष्य किस दिशा में आसक्त है। यदि आसक्ति की दिशा नकारात्मक है तो क्षणिक आनंद के बाद मनुष्य अपने जीवन मूल्यों से भटक जाएगा। दूसरी तरफ व्यक्ति यदि आसक्ति में अपने जीवन-मूल्यों को समाहित कर दे तो वही आसक्ति उसके विकास में एक साधन बन जाएगी।

आचार्य विनोद कुमार ओझा

तथ्य-कथ्य

किस फुटबॉल टीम में कितने विदेशी खिलाड़ी

विश्व कप फुटबॉल में क्वालीफाई करने वाली टीमों में विदेश में पैदा हुए खिलाड़ियों का हिस्सा प्रतिशत में

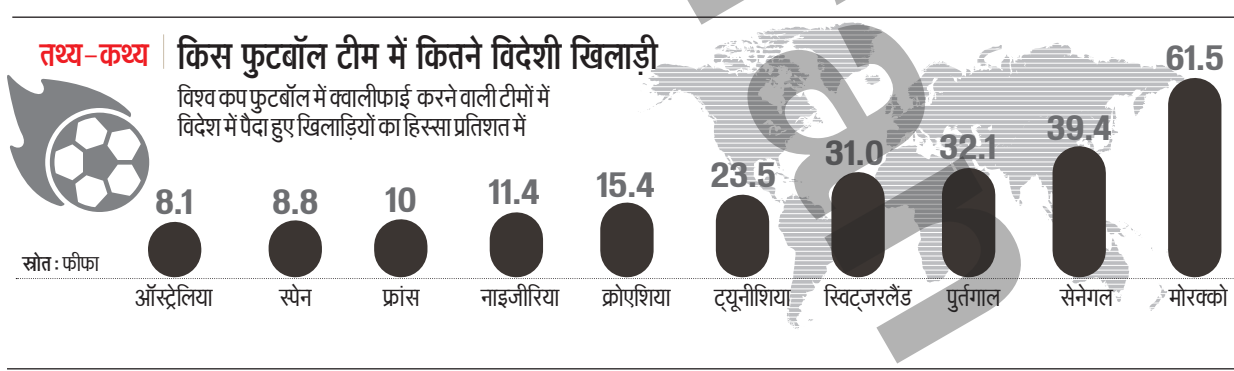

स्रोत : फीफा

राजरंग

कैसा गंगा प्रेम?

गंगा के प्रति प्रेम अगर किसी से सीखना हो तो केंद्रीय मंत्री उमा भारती से उपयुक्त शायद ही कोई अन्य व्यक्ति होगा- ऐसा हर वह व्यक्ति मानेगा जो बार बार गंगा के ही आसपास रहने वाली उनकी गतिविधियों को देखेगा और सुनेगा। पर सवाल यहीं से खड़ा होता है। जब उनके पास जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय था तो लाख गतिविधियों के बावजूद क्या हुआ यह नमामि गंगे योजना की कैग रिपोर्ट के रूप में सबके सामने है। जो रिपोर्ट आई थी उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। पर गंगा प्रेम तो प्रेम है, उनसे यह मंत्रालय छिना है तो गंगा के प्रति अनुराग और बढ़ गया है। जब उन्हें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भेजा गया तो उन्होंने अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस भी श्रमशक्ति भवन आकर ही की जहां वह गंगा की मंत्री के तौर पर तीन साल तक बैठा करती थीं। ताजा उदाहरण गंगा स्वच्छता मंच का है। यह देखना होगा कि नई भूमिका में वह गंगा के आसपास कितनी स्वच्छता ला पाती हैं।

तपे हुए कूटनीतिज्ञ

कहते हैं कि एक सधे हुए कूटनीतिज्ञ को राष्ट्रहित में जितनी बात बतानी होती है उससे भी ज्यादा छिपानी होती है। यह बात मौजूदा विदेश सचिव एस जयशंकर पर पूरी तरह से खरी उतरती है। पिछले दिनों विदेश मंत्रालय के सालाना लंच में पत्रकार मंडली ने उन्हें कई बार घेरा और हर बार दर्जनों सवाल उन पर दागे, लेकिन एक मंजे हुए कूटनीतिज्ञ ने हर सवाल का जवाब सवाल में ही दिया। कई बार तो उन्होंने सवाल को सुझाव मान लिया और उल्टा यह कह कर अनुत्तरित कर दिया कि इस सुझाव को वह हाईकमान तक जरूर पहुंचाएंगे। चाहे चीन का मुद्दा हो या पाकिस्तान का हो या फिर अमेरिका का, हर मुद्दे पर पूछे गए सवाल को बखूबी किसी दूसरी तरफ मोड़ देने के बाद उन्होंने अंत में यह भी कहा कि आज मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए।

हुनरमंद निकले मंत्री जी

विपक्ष के हंगामे बीच जब राज्यसभा पूरी तरह से ठप पड़ी हो, ऐसे में कोई मंत्री अपने अटके बिल पास करा लें तो उसे हुनरमंद तो कहा ही जाएगा। जी हां, अपने पढ़ाई लिखाई वाले मंत्री जी ने कुछ ऐसा ही कमाल दिखाया है। राज्यसभा में पिछले सत्र से ही अटके आइआइएम बिल को उन्होंने बड़ी होशियारी से सबको साधकर ऐसे पास करा लिया कि किसी को अंदाजा ही नहीं लगा। हालांकि जब वह इस कोशिश में जुटे थे, तब साथियों को उनकी कामयाबी पर कम ही यकीन था। पर अनुभवी मंत्री जी ने अपने हुनर का ऐसा इस्तेमाल किया है कि इस बिल को पास करने में न सिर्फ कांग्रेस साथ आई, बल्कि बाकी विपक्षी दलों ने भी साथ दिया। सभी ने चर्चा में भी हिस्सा लिया। यह सब अचानक हुआ और कुछ ही देर की चर्चा मे बिल बहुमत से पास हो गया। बिल पास होने की जैसे ही घोषणा हुई, नाउम्मीद होकर बैठे साथियों के चेहरे भी दमक उठे। आखिर इसे मंत्री का हुनर ही कहेंगे कि उन्होंने कैसे नाउम्मीद को उम्मीद में बदल दिया। फिलहाल मंत्री के इस हुनर की संसद के गलियारों में काफी चर्चा है।

पलटी परिक्रमा

एक समय था जब केंद्र और राज्यों के मंत्री पैसे के लिए संसद मार्ग पर स्थित योजना भवन के चक्कर लगाते थे, लेकिन समय का पहिया घूमा तो अब हालात भी बिल्कुल उलट गए हैं। जब से नीति आयोग बना है, यहां बैठने वाले सदस्य भी अपनी योजनाओं को परवान चढ़ाने के लिए अब मंत्रालयों की ओर धन आवंटन के लिए ताकते हैं। हाल में जब इसका जिक्र आया तो आयोग के एक सदस्य का दर्द छलक गया। कहने लगे कि जो योजना उन्होंने सुझाई है उसके लिए धन आवंटित कराने को उन्हें भगवान से पहले पुजारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं धन का आवंटन होगा।

ट्वीट-ट्वीट

साधुवाद वसुंधरा जी। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने नागरिकों को अपनी भाषा और लिपि में ईमेल खाता बनाने की भेंट दी है। हिंदी को भी एक नई अहम तकनीकी सीढ़ी में ऊपर चढ़ाया है। अब लोग इसे सफल बनाएं।

राहुल देव@rahuldev2

लालू प्रसाद यादव पर दोष सिद्ध होने से भाजपा-नीतीश गठजोड़ और मजबूत होगा। गठजोड़ की स्थिति में अब दोनों पार्टियों को 2019 के चुनाव से पहले सीटों की साझेदारी पर काम शुरू करना होगा।

अमन शर्मा@AmanKayamHai_ET

विनोद राय के घर का घेराव करने वाले मूर्ख इससे क्या हासिल कर लेंगे? अगर उनकी बातों के खिलाफ किसी के पास कोई तथ्यपरक आंकड़ें हैं तो फिर वे उनके खिलाफ अदालत में मामला क्यों नहीं दायर करते?

सुहेल सेठ@suhelseth

आदर्श घोटाले में सीबीआइ क्या साबित नहीं कर पाई कि अशोक चव्हाण की एक सास हैं जो आदर्श में तीन फ्लैट की मालकिन हैं और ये फ्लैट कारगिल में शहीदों की विधवाओं के लिए बनाए गए थे? या फिर यह कि आदर्श हाउसिंग सोसायटी नाम की बिल्डिंग का कोई वजूद है या नहीं?

रमेश श्रीवत्स@rameshsrivats

जनपथ

चालीसा हनुमान की पढ़ें जेल में जाय,
हजम किया बरसों-बरस पशु का चारा खाय।
पशु का चारा खाय नहीं इक बार डकारे,
ग्वाले होकर आप गाय का भी हक मारे।
फंसती दिखती आज इक तरफ बेटी मीसा,
और जेल में जाय पढ़ें लालू चालीसा।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 28 अंक 159**